



प्रेषक,

ओम प्रकाश यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त आयुक्त,
उद्योग,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 30 अगस्त, 2024

विषय:- उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के कार्यान्वयन हेतु
रु0 52,45,24,789.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पिकप के पत्रांक-पिकप/आई.आई.पी.पी.-2012/डिस्ब./641 दिनांक 23.08.2024(छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक-2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय(क्रमशः)-60-अन्य(क्रमशः)-800-अन्य व्यय(क्रमशः)-20-नई औद्योगिक नीति, 42-अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रु0 650.00 करोड़ (रूपया छः सौ पचास करोड़ मात्र) के सापेक्ष पात्र औद्योगिक इकाई को धनराशि वितरण हेतु रु0 52,45,24,789.00 (रु. बावन करोड़ पैतालीस लाख चौबीस हजार सात सौ नवासी मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- पिकप द्वारा उपलब्ध कराया गया लाभार्थी इकाई का विवरण निम्नवत् है:-

(धनराशि रु0 में)

क्र०सं०	कम्पनी	अनुमोदित अनुमन्य धनराशि	शासनादेश दिनांक 26.3.2021 के अनुपालन में देय धनराशि (अनुमन्य धनराशि का 90 प्रतिशत) *	नोडल एजेंसी (पिकप) को देय प्रशासनिक व्यय की प्रतिपूर्ति की राशि (देय धनराशि का 1.5 प्रतिशत)	इकाईयों वितरित की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	मेसर्स जे०के० सीमेंट लि०, अलीगढ़	58,28,05,321.00	52,45,24,789.00	78,67,872.00	51,66,56,917.00
	कुल योग	58,28,05,321.00	52,45,24,789.00	78,67,872.00	51,66,56,917.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

007 लेखाशीर्षक 2885608002000 नई औद्योगिक नीति मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 4 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
ओम प्रकाश यादव
संयुक्त सचिव।

संख्या-44/2024/2040(1)/77-6-2024-6099/139/2023तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
4. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर।
5. अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रबन्ध निदेशक, पिकप को उनके पत्रांक-पिकप/आई.आई.ई.पी.पी.-2012/डिस्ब./641 दिनांक 23.08.2024 के संदर्भ में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
7. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
9. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
10. नियोजन अनुभाग-1/4
11. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ओम प्रकाश यादव
संयुक्त सचिव।